

कार्यालय नियंत्रक
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
पंतनगर, जिला- ऊधमसिंह नगर

संख्या : वि.नि./आयकर/772/1697

दिनांक : जनवरी 25, 2021

समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष।

वित्तीय वर्ष 2020-2021 समाप्ति पर है तथा शेष माह के वेतन से पूरे वर्ष की आयकर देयता समायोजित की जानी है। वि०वि० के महाविद्यालयों/निदेशालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष 2020-21 आयकर कटौती सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्रांक वि०नि०/आयकर/772/1262, दिनांक: 25.11.2020 के माध्यम से दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्नवत कार्यवाही अपेक्षित है:-

1. "विश्वविद्यालय के Integrated Financial Management System (IFMS) के Employee Corner MODULE पर उपलब्ध करायी जा रही Income Tax Calculation Sheet FY 2020-2021 पर ही सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनकी वार्षिक आय ₹0 2.50 लाख से अधिक है, की आयकर देयता निर्धारित की जानी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 (निर्धारण वर्ष 2021-22) में निम्नवत दो विकल्पों में से किसी एक विकल्प के आधार पर आयकर गणना की जानी है-
i) पुरानी कर प्रणाली के अनुसार पूर्व वर्ष की भांति नियमानुसार छूट या कटौती अनुमन्य होगी।
ii) नई कर प्रणाली (धारा 115BAC) के अनुसार धारा 80CCD(2) के अतिरिक्त कोई भी छूट या कटौती अनुमन्य नहीं होगी।
2. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपर्युक्तानुसार आयकर गणना हेतु विकल्प का चुनाव कर, दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की आय एवं बचत के आँकड़ों की प्रविष्टि कर आयकर गणना प्राप्त हो जायेगी तथा प्राप्त प्रिंट आउट (Print Out) के साथ आयकर छूट (Rebate) से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की स्वसत्यापित (Self Attes.ed) छायाप्रति तथा Salary Register से सत्यापित वार्षिक आय विवरणी (Annual Income Statement) सहित अपने विभाग/महाविद्यालय के लेखा अनुभाग में उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त Income Tax Calculation Sheet F.Y 2020-2021 एवं Verified Annual Income Statement के साथ संलग्न सभी स्वसत्यापित अभिलेखों की जांच करते हुए, हस्ताक्षरित करने के उपरान्त विलम्बत: दिनांक 20.03.2021 तक 01 प्रति में (सभी स्वसत्यापित संलग्नको सहित) वेतन की चेक लिस्ट के साथ सूचीबद्ध (List) करते हुए भेजने का कष्ट करें एवं 01 प्रति विभाग/महाविद्यालय के कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी तथा 01 प्रति सम्बन्धित को विभाग द्वारा वापस कर दी जायेगी।
3. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एरियर/अन्तिम वेतन/अवकाश नकदीकरण एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त पेंशन इत्यादि का भुगतान दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि में होने पर उनकी भी Income Tax Calculation Sheet F.Y 2020-2021, Annual Income Statement एवं PAN Card की छायाप्रति नियंत्रक कार्यालय में विलम्बत: दिनांक 20.03.2021 तक उपलब्ध करायी जाये तदोपरान्त 15.06.2021 तक फार्म-16 निर्गत किये जायेंगे।
4. महाविद्यालयों/विभागों द्वारा Income Tax Calculation Sheet FY 2020-2021 में देय आयकर की पूर्ण कटौती सम्बन्धित के वेतन/एरियर इत्यादि से की जानी अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अपने PAN के माध्यम से सीधे आयकर जमा नहीं करें। आयकर देयता की सम्पूर्ण धनराशि वेतन/एरियर इत्यादि से कटाना अनिवार्य है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा TAN के माध्यम से ही जमा किया जाना होता है। आयकरदाता द्वारा पूर्ण आयकर कटौती वेतन आदि से न कराये जाने पर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज/अर्थदण्ड का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयकरदाता का होगा।
5. सभी महाविद्यालयों/विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनसे सम्बन्धित कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की Annual Income Statement के आधार पर Income Tax Calculation Sheet FY 2020-2021 तैयार कर ली गयी हैं। आयकर विभाग के सभी विवरण की e-filing होने के कारण विश्वविद्यालय का फार्म-24Q तैयार होने तक अर्थात् 31.05.2021 से पूर्व तक सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के गणना प्रपत्र/फार्म-16 पूर्ण होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के फार्म-24Q की e-filing के बाद किसी का भी फार्म-16 का सत्यापन किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा तथा इसकी पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग का होगा।
कृपया उपर्युक्त बिन्दुओं से अपने महाविद्यालय/विभाग के सभी शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त उप नियंत्रक/समस्त लेखाधिकारी/समस्त सहायक लेखाधिकारी।
2. लेखाकार (वेतन प्रकोष्ठ), महाविद्यालय/विभागों से उपरोक्तानुसार चेक लिस्ट (Check-List) के साथ Verified Income Tax Calculation Sheet FY 2020-2021 में दर्शायी गयी आयकर की कटौती फरवरी, 2021 के वेतन से करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रोग्रामर, नियंत्रक कार्यालय, को इस पत्र को वि०वि० के IFMS पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, वि०वि० वेबसाइट, प्रौ० महाविद्यालय, को इस पत्र को वि०वि० वेबसाइट पर अपलोड करने के आशय से प्रेषित।
5. कुलपति जी के विशेष कार्याधिकारी को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नियंत्रक